# हिन्दी का स्वरूप एवं प्रयोगक्षेत्र

डॉ० रवीन्द्रनाथ मिश्र

स्वर्गीय कविवर अज्ञेय जी के कथन से अपनी बात शुरु करना चाहूँगा। उनका कहना था कि "जब हम राजनीतिक दृष्टि से पराधीन थे, तब तो हमारे पास स्वाधीन भाषा थी, अब जब हम स्वतंत्र हो गये, तब हमारी भाषाएँ पराधीन हो गयीं और अंग्रेजी की सहचरी बन गयीं।"

आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हिन्दी राजनीतिक दाँव-पेंच के बीच छक्के खाती हुई राजभाषा के गौरव को प्राप्त नहीं कर सकी। चाहिए तो यह कि राष्ट्रभाषा हिन्दी को राजकाज की भाषा बनाने पर बल दिया जाए। लेकिन ऐसा न करके आज भारतीय भाषाओं में ही अलग-अलग हो जाने की प्रवृत्ति कुछ अधिक ही बढ़ रही है, जोकि चिन्ता का विषय है जब कि भाषा का कार्य है परस्पर एक दूसरे को जोडना न उन्हें कि तोडना। भाषा का संबन्ध किसी संप्रदाय, धर्म जाति अथवा प्रदेश से नहीं होता वह तो मानव-मात्र की सम्पत्ति होती है और मानव-एकता का एक साधन है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसका साध्य सद्भावना, स्नेह तथा सहबोध का सनातन सन्देश देना है। अतः हमें भाषा का उपयोग संकीर्ण स्वार्थों से मुक्त हो कर मानव-मात्र की मंगल-कामना एवं व्यापक हित साधना से अनुप्रेरित होकर करना चाहिए। वही भाषा सराहनीय है जो इस सनातन सन्देश की संवाहक हो। विशेषता इस बात की है कि हिन्दी की व्यापकता और इसकी अपनी अस्मिता इतनी अधिक समृद्ध है कि लोगों की एकसूत्र में बाँधे हुए हैं। इसका श्रेय दो महत्वपूर्ण आन्दोलनों को जाता है। पहला मध्ययुग में भक्ति आन्दोलन जिसके कारण ब्रजभाषा भक्ति भाषा के रूप में असम से केरल तक प्रतिष्ठित हुई। सामान्यजन के भीतर विश्वास का ज्वार आया, एक स्थान का अनुभव दूसरी जगह केवल समता यात्रियों के द्वारा तत्काल पहुँचा। दूसरा आन्दोलन महात्मा-गांधी का स्वदेशी आन्दोलन है, जिसने कहीं के कार्यकर्ता को कहीं नहीं भेजा। हिन्दी भाषी ने तमिल सीखी और तमिल भाषी ने हिन्दी सीखी। इसके कारण अपनी भाषिक अस्मिता को सबने समझा। राष्ट्रीय आन्दोलनों ने भारतीय भाषाओं को एक-दूसरे के समीप लाने का बहुत बड़ा काम किया। इसी का सूत्र बनी हिन्दी।

## तीसरी भाषा :

स्वतंत्रता के बाद हिन्दी को राष्ट्र-भाषा को गौरव प्रदान किया गया। इसके अनेक कारण हैं। हिन्दी, समझने बोलने के लिहाज से अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में सरल और सहज है। इसमें इतना अधिक लचीलापन हैं कि हर प्रांत, देश की भाषा का बड़े स्वाभाविक ढंग से इस में समायोजन हो जाता है। इस संबन्ध में फादर कामिल बुल्के का विचार है "हिन्दी न केवल देश के करोड़ों

लोगों की सांस्कृतिक और सम्पर्क भाषा है वरन् बोलने और समझने की संख्या की दृष्टि से दुनिया की तीसरी भाषा है। भारत के सभी धर्मों और विभिन्न भाषा-भाषियों ने हिन्दी के विकास में योगदान दिया है। वह किसी विशिष्ट वर्ग, प्रदेश या समुदाय की भाषा न होकर भारतीय जनता की भाषा है।"2

हिन्दी भाषा के अखिल भारतीय महत्व के संबन्ध में डॉ० रामविलास शर्मा का मन्तव्य है कि "इसका पहला कारण यह है भारत की सब से बड़ी जाति की भाषा हैं। दूसरा कारण यह है कि उत्तर भारत, बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र तक की भाषाओं और हिन्दी के शब्द-भण्डार में इतनी ज्यादा समानता है कि लोग उसे आसानी से समझ लेते हैं। तीसरा कारण है कि राजस्थान के व्यापारी और पूंजीपति भारत के विभिन्न प्रान्तों में फैले हुए हैं और साधारणतः वे हर जगह हिन्दी शिक्षा प्रचार आदि में सहायता करते है। चौथा और सब से महत्वपूर्ण कारण यह है कि हिन्दी भाषी इलाके के मजदूर बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े-बड़े नगरों में भारी संख्या में मिलते हैं।" 3

## राजनीतिक षड्यंत्र

अफसोस की बात है कि अब हम महान बनना चाहते हैं तब भारतीय संस्कृति और महापुरुषों का गुणगान करते हैं। लेकिन जब भारतीय भाषाओं की बात आती है तब हम वैज्ञानिक शोध करने लगते हैं। हिन्दी भारत के एक विशाल भाग और जनसंख्या की भाषा है। बहुत विचार विमर्श के बाद वह राज-भाषा के रूप में स्वीकृत हुई, जिस में अहिन्दी भाषी लोगों का विशेष योगदान है। हिन्दी सीखने के लिए सभी प्रदेशों में एक सहज इच्छा होनी चाहिए, और है भी। यदि उसके मार्ग में कोई बाधा है तो एक मात्र राजनीतिक षड्यंत्र है। हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विनोबाभावे ने कहा था— "जैसे इन्द्र-धनुष में भिन्न भिन्न रंग होते है वैसे ही हिन्दुस्तान में भिन्न-भिन्न भाषाएँ हैं। भारत के लोगों को दो-तीन भाषाओं का ज्ञान होना ही चाहिए। इस से खूब ज्ञान मिलेगा, बुद्धि व्यापक होगी, एक दूसरे की भाषा सीखने से प्रेम बढ़ेगा, व्यवहार सुगम होगा और हिन्दुस्तान की ताकत बढ़ेगी।"

हिन्दी भाषा के महत्व पर अब बात करना समीचीन नहीं होगा, क्योंकि इसका महत्व स्वयं सिद्ध हो चुका है। चूंकि बात राजभाषा और राष्ट्र-भाषा के संबन्ध में करनी हैं इसलिए इन दोनों के अन्तर को समझ लेना जरूरी है। राज-भाषा किसी देश अथवा राष्ट्र के प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग होनेवाली भाषा होती हैं। प्रशासन के उलटफेर से यह बदलती रहती है। किन्तु राष्ट्रभाषा सम्पूर्ण राष्ट्र में विचरण करनेवाली संपर्क भाषा होती है। राजभाषा यदि मस्तिष्क पक्ष का समर्थन करती है तो राष्ट्रभाषा राष्ट्र-हृदय का प्रतिनिधित्व करने-वाली प्रमाणित होती हैं। जिस प्रकार व्यक्ति समाज और राष्ट्र का उत्थान भौतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के समन्वय से अधिक संभव होता है उसी प्रकार किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए राजभाषा और राष्ट्रभाषा का सामंजस्य होना जरूरी हैं। इसमें एक का महत्व राजनीतिक दृष्टिकोण से आंका जाता

है, जबकि दूसरे का सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टि से।

राष्ट्रभाषा और राजभाषा में बहुत निकट का संबन्ध है। हर राजभाषा राष्ट्रभाषा होती है। जापान, अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस और जर्मनी में इसका भेद नहीं है। लेकिन अविकसित तथा विकासमान देशों में जहां स्थानीय तथा क्षेत्रीय भाषाओं के ऊपर किसी अन्य प्रभावशाली या उपनिवेशी भाषा का प्रभाव होता है, वहां यह भेद महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हमारे देश में अंग्रेजी का प्रभाव अधिक है। इसलिए राजभाषा की समस्या बनी हुई है। राजभाषा शासक और शासित के बीच की भाषा होती है। इस में शासन का बोध प्रमुख है।

## "स्वतंत्र देश की रीढ़"

राष्ट्रभाषा में राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय गौरव का बोध अधिक प्रमुख है। राष्ट्र भाषा राष्ट्रीय अस्मिता की प्रतीक होती है। 'राष्ट्र' शब्द में समूचे देश की आंतरिक एकसूत्रता का बोध होता है। राष्ट्र भाषा स्वतंत्र देश की रीढ़ होती है। इस संबन्ध में अतीत का अवलोकन करें तो प्राचीन भारत में देश की राष्ट्रभाषाएं क्रमशः संस्कृत, पालि, प्राकृत, शौरसेनी और अपभ्रंश थी और इन्हीं भाषाओं के माध्यम से तत्कालीन शासक राजकाज किया करते थे। अतः उस समय राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक ही थी। मध्यकाल में मुसलमानों ने राजभाषा के रूप में फारसी को अपनाया। लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में ब्रजभाषा हिन्दी का प्रचलन हुआ। कालान्तर में अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजी राजभाषा बनी और खड़ीबोली हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में संचरण करती हुई अखिल देश की सम्पर्क भाषा बन गई। कहने के लिए हिन्दी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया गया है किन्तु व्यावहारिक रूप में आज भी राजभाषा का स्थान अंग्रेजी के कब्जे में है।

19 वीं और 20 वीं सदी के देश के प्रायः सभी अहिन्दी भाषी विद्वानों और नेताओं ने हिन्दी को सार्वदेशीय भाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस के महत्व पर प्रकाश डालने के बाद आइए हिन्दी की भौगोलिक व्यापकता और प्रयोग क्षेत्र के संबंध में बात कर ली जाय। डॉ० उदयनारायणतिवारी के अनुसार— "पश्चिम में अंबाला से बीकानेर और जैसलमेर तक, दक्षिण में ताप्ती नदी बालघाट के दुर्ग तक, पूर्व में रायपुर से भागलपुर तक एवं उत्तर में नेपाल की सीमा को छूते हुए गंगोत्री-यमनोत्री तक के 1050 मील लम्बे और लगभग 600 मील चौड़े विस्तृत भू-भाग को हिन्दी प्रदेश के नाम से जाना जाता है।" 5 इस में उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली आदि के भू-भाग आते हैं। "सन् 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में हिन्दी बोलने वालों की संख्या डॉ० भोलानाथ तिवारी ने 15,37,29062 बताई है, जो कि भारतीय भाषाओं की तुलना में सर्वाधिक है।" 6 हिन्दी भाषा के अन्तर्गत 17 मुख्य बोलियां हैं, जिनको पांच उपवर्गों में बांटा गया है।

| | | |
|---|---|---|
| पश्चिमी हिन्दी | – | खड़ीबोली, हरियाणी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुन्देली। |
| पूर्वी हिन्दी | – | अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। |
| राजस्थानी हिन्दी | – | मारवाड़ी जयपुरी, मेवाड़ी और मालवी। |

बिहारी हिन्दी – भोजपुरी, मगही और मैथिली।

पहाड़ी हिन्दी – कुमायूनी और गढ़वाली।

प्रारंभिक काल में भारत की भाषा होने के कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश को हिन्दी कहा गया। वैसे हिन्दी का उदय-काल आदिकाल माने तो साहित्य में डिंगल और पिंगल का विशेष महत्व है। मध्यकाल में मुख्य रूप से हिन्दी की तीन बोलियों में अवधी, ब्रज और खड़ी बोली को विशेष स्थान प्राप्त था। अवधी और ब्रज भाषा में भरपूर साहित्य लिखा गया। आधुनिक काल आते-आते खड़ी बोली का महत्व बढ़ता गया। कालान्तर में इसका प्रचार-प्रसार काफी हुआ।

## मुगल शासन में :

भारतीय इतिहास में मुस्लिम शासन-काल ने भारतीय जनमानस को कला, साहित्य और संस्कृति आदि अनेक मायनों में प्रभावित किया जिसका प्रभाव आज भी विशेषत: उत्तर भारत की संस्कृति पर दिखाई देता हैं। खड़ीबोली हिन्दी का आविर्भाव भी इसी काल में हुआ। इसलिए इसके विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेना समीचीन होगा।

## "खालिक बारी"

भारत में तुर्क अफगान शासन तंत्र 1206 से 1525 ई० तक और मुगल शासन तंत्र 1525 से 1803 उई० तक माना जाता है। डॉ० नजीर मुहम्मद का विचार है कि "भारत में हिन्दी शब्द का सर्व प्रथम प्रयोग अमीर खुसरो (1253-1325 ई ) को 'खालिकबारी' में प्राप्त होता है। 'खालिकबारी' कोशग्रन्थ है। इस में बारह बार 'हिन्दी' और पचपन बार 'हिन्दवी' शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ हिन्दी का अर्थ है 'हिन्द' की भाषा और हिन्दवी का अर्थ है हिन्द के निवासियों या हिन्दुस्तानियों की भाषा।' (7) वैसे इस काल में राजनीतिक उथल पुथल अशांतिमय वातावरण में हिन्दी को यथेष्ट प्रश्रय नहीं मिला। इन विदेशी शासकों की मातृभाषा तुर्की, धर्मभाषा अरबी और राजभाषा फारसी थी। इसलिए उन्होंने देश की प्रमुख भाषा हिन्दी की ओर ध्यान ही नहीं दिया। कालान्तर में मुसलमानों का संबन्ध ज्यों-ज्यों हिन्दुओं से बढ़ता गया, त्यों-त्यों उन्होंने सम्पर्क भाषा हिन्दी के महत्व को समझा नेहरु का कथन है कि "बहुत दिनों तक मुसलमानों के द्वारा भी हिन्दी की अवहेलना नहीं की जा सकी।" (8)

मुगलशासन काल में राजनीतिक स्थिरता के कारण हिन्दी को फलने-फूलने का विशेष अवसर मिला। इसका कारण था मुगलों की कला प्रियता। उदयनारायण दुबे का कथन है कि "मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक सम्राट अकबर की कलाप्रियता उसके विद्या-नुराग और उदारवादी दृष्टिकोण ने भारतीय संस्कृति और कला में एक अद्भुत मोड उपस्थित कर दिया।" (9) अकबर के दरबार में सभी कलावंतों को विशेष सम्मान प्राप्त था। फारसी के साथ हिन्दी कवियों को भी विशेष आदर मिलता था। मुगल शासन काल के अन्तर्गत हिंदी को व्यापक बनाने का श्रेय उस काल की धार्मिक, सांस्कृतिक राजनीतिक, व्यापारिक और साहित्यिक परिस्थितियों को भी जाता है।

जैसा कि मैंने पहले ही संकेत किया है कि हिन्दी को बढ़ावा देने में भक्ति आन्दोलन का विशेष हाथ है। इस काल में निर्गुण और सगुण संतों ने हिन्दी को व्यापकता प्रदान करने में सफल भूमिका का निर्वाह किया। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत सदा ही एक रहा है। भारत के चारों कोनों में स्थित चार तीर्थधाम इसकी सांस्कृतिक एकता के आधार स्तम्भ है।

मुस्लिम शासनकाल में तीर्थ यात्रियों के आवागमन से हिन्दी को सार्वदेशिक भाषा के रूप में विकसित होने का सुअवसर मिला। राजनीतिक क्षेत्र में राजकाज के कार्यों हेतु आपसी तालमेल से हिन्दी भाषा का प्रचार हुआ। साम्राज्यवादी विस्तार के तहत हिन्दी, उत्तर से दक्षिण पहुँची। व्यापारियों का आवागमन सम्पूर्ण देश में था। डॉ० शर्मा के विचार से "केन्द्रीय प्रदेश में हिन्दी व्यापार की भाषा होने के कारण अंतर-प्रान्तीय व्यवहार के लिए भी उसका प्रयोग होता था।" 10 मुगलकाल में राजभाषा फारसी के होते हुए भी लोकभाषा के रूप में हिन्दी का ही प्रचलन था।

जब अंग्रेज आये :

ब्रिटिश शासनकाल में पाश्चात्य शिक्षा और साहित्य के प्रभाव के कारण भारतीय जीवन एवं चिंतन में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ, जिसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। प्रारम्भिक दौर में अशिक्षा और गरीबी के कारण लोगों ने अंग्रेजों की गलत नीतियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। भाषण के क्षेत्र में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी। इससे भाषा के क्षेत्र में जो नीति निर्धारित की गई उसका कालांतर में मधुर एवं तिक्त प्रभाव दिखाई पड़ता है। गिलक्राइस्ट की भ्रमपूर्ण भाषा नीति साम्प्रदायिक भावना से मुक्त थी। वे स्वयं रोमन और फारसी लिपि के पक्षपाती थे। 1804 से 1823 ई० तक हिन्दी भाषा की स्थिति दुविधापूर्ण थी। सन् 1823 के बाद विलियम प्राइस की नियुक्ति के बाद इस क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। जिस समय कंपनी ने भारत का शासन सूत्र अपने हाथ में लिया उस समय उसके सामने चार प्रमुख भाषाएँ थीं।

1. अंग्रेजी कंपनी सरकार की अपनी निजी भाषा थी जिसका प्रचार करना तथा जिसे राजभाषा का पद दिलाना कंपनी अपना परम कर्त्तव्य समझती थी।
2. फारसी राजभाषा थी अवश्य किंतु, सर्वसाधारण में इसका प्रचलन नामवात्र के बराबर था।
3. हिन्दी लोक भाषा के रूप में सर्वत्र बोली और समझी जाती थी।
4. बंगला कम्पनी सरकार की केन्द्र की भाषा थी।

1834 ई० में लार्ड मैकाले भारत आए। उन्होंने अंग्रेजी द्वारा भारतीयों को शिक्षा देने पर बल दिया। इस प्रकार धीरे-धीरे अंग्रेजी का प्रचार काफी व्यापक होता गया अंग्रेजों ने राजकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी को ही अपनाया। जन सामान्य में हिन्दी उर्दू का बोल-बाला था। अदालतों की भाषा पहले उर्दू थी बाद में हिन्दी को स्थान दिया गया। दो प्रकार के विद्यालयों की स्थापना भी हुई। इस दौरान

राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द और राजा लक्ष्मण सिंह ने हिन्दी भाषा और नागरी लिपि के महत्व को स्थापित करने का अथक प्रयास किया। इनके अतिरिक्त फोर्ट विलियम कालेज में नियुक्त किए गए अध्यापकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

1857 की क्रान्ति के बाद भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आया। भारत की शासन सत्ता कंपनी सरकार के हाथ से निकलकर महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई। कंपनी सरकार के अत्याचारों से जनता पीड़ित हो चुकी थी। विक्टोरिया ने कुछ सुधारों की घोषणा जरूर की लेकिन वे मात्र हवाई फायर ही थे। 1857 की क्रान्ति को अंग्रेजों ने बर्बरपूर्ण ढंग से दबाया जिसके फलस्वरूप प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया हुई और धीरे स्वाधीनता की आग और सुलगती गई। इसके पश्चात् स्वदेशी आन्दोलनों का दौर चला जिस में भारतेन्दु ने 'निजभाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल' को भी स्वर प्रदान किया। निज भाषा आन्दोलन के विषय में और कुछ कहने के पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में भाषा की दशा से अवगत हो लेना जरूरी है।

भारतीयों की इच्छा के प्रतिकूल, अंग्रेजी समस्त भारत में राजकाज तथा शिक्षा के माध्यम के रूप में छा गयी थी। अंग्रेजों की सम्पर्क भाषा अंग्रेजी थी। अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा, जिसे राष्ट्र भाषा भी कहा जा सकता है, हिन्दी थी। प्रादेशिक स्तर पर प्रान्तीय भाषाएँ विचार-सम्पर्क का कार्य करती थी। साहित्यिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का वर्चस्व था लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं में भी साहित्य का सर्जन हो रहा था। जैसा कि लगभग आज भी है।

इस प्रकार स्वाधीनता संघर्ष के साथ-साथ निज भाषा का आन्दोलन भी बड़ी तेजी से हो चल रहा था। 'निज भाषा' के रूप में हिन्दी आन्दोलन का क्षेत्र एवं उद्देश्य था कि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को समस्त प्रदेश की राजभाषा बनाने के लिए प्रयास किया जाए। केन्द्रीय राजभाषा अंग्रेजी की जगह हिन्दी को व्यवहार के रूप में प्रयोग करना आन्दोलन का अन्यतम उद्देश्य था, और सम्पर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोका जाए; यह दूसरी महत्वपूर्ण बात थी।

## सुधारवादी संस्थाएँ।

हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएँ, राजनीतिक संस्थाएँ और साहित्यिक संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। 19 वीं शती के दूसरे दशक के मध्य भारत में सरकारी तौर पर ईसाई पादरियों को ईसाई धर्म के प्रचारार्थ पूर्ण छूट मिल चुकी थी। पादरी लोग अपने धर्म की उदारता के अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन के साथ हिन्दू धर्म की निंदा किया करते थे। सामाजिक विकृतियों के परिणाम स्वरूप हिन्दू जनता स्वधर्म का परित्याग कर ईसाईधर्म स्वीकार करने लगी थी। ऐसे समय में नई शिक्षा से प्रभावित नवीन चेतना को आत्मसात करने वाले अनेक भारतीय विचारकों और सुधारकों का उदय हुआ जिन्होंने अनेक समान सुधारवादी संस्थाओं की स्थापना की। इनमें ब्रह्मसमाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल

सोसाइटी, रामकृष्णमिशन और सनातन धर्म आदि हैं। इन संस्थाओं ने निजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाज सुधार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी इन संस्थाओं की प्रशंसनीय भूमिका रही। हिन्दी भाषा के संबंध में समाज सुधारकों द्वारा दिए गए वक्तव्य ही उनकी निष्ठा को व्यक्त करते हैं। राजाराम मोहनराय का मत था कि "यदि अखिल भारतीय भाषा बनने की पूर्ण क्षमता किसी भी भाषा में है तो वह सिर्फ हिन्दी में ही है।"[11] इसी संदर्भ में दयानंद सरस्वती के विचार – "भाई मेरी आँखें तो उस दिन को देखने के लिए तरस रही हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा को समझने और बोलने लग जाएँगे।"[12]

विशेषकर स्वामीदयानंद सरस्वती ने इस दिशा में अथक प्रयास किया।

## गांधी युग में :

राजनीतिक संस्थाओं में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से निज भाषा के क्षेत्र में एक नया मोड़ आया। देश में हो रहे राष्ट्रीय आन्दोलनों से भारत का समस्त वातावरण राष्ट्रीयतामय हो गया। राजनीति के क्षेत्र में गाँधीजी के आगमन से एक नई आशा की किरण फूटी। मुक्ति आन्दोलन की बागडोर सँभाले गांधी बाबा ने धर्म, दर्शन, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने नूतन विचारों से लोगों को अवगत कराया। राष्ट्रभाषा को निम्नलिखित पाँच लक्षणों से युक्त बताया।

1. वह राजकीय कर्मचारियों के लिए सरल हो।
2. उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष के परस्पर के धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवहार निभा सकें।
3. उस भाषा को देश के अधिकांश निवासी बोलते हों।
4. वह भाषा राष्ट्र के लिए सरल हो।
5. वह भाषा क्षणिक या अल्प स्थाई स्थिति के ऊपर निर्भर न हो।

गांधीजी हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की लड़ाई आजीवन लड़ते रहे। गांधीजी के अतिरिक्त विभिन्न प्रान्तों में अनेक राजनेताओं और बुद्धिजनों ने इस कार्य में सहर्ष योगदान दिया।

## मासिक सरस्वती :

साहित्यिक संस्थाओं में भारतेन्दु मंडल में पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, अम्बिकादत्त व्यास और ठाकूर जगमोहन सिंह आदि ने हिन्दी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। आगे चलकर इस कार्य को पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती' पत्रिका के माध्यम से खड़ीबोली हिन्दी को स्थापित किया। द्विवेदी जी द्वारा किए गये कार्यों को हम भगीरथ प्रयत्न ही कह सकते हैं।

इसके अतिरिक्त हिन्दी के क्षेत्र में नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी, हिन्दी साहित्य-सम्मेलन प्रयाग और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास आदि छोटी-बड़ी अनेक संस्थाओं ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार में

विभिन्न तरह से योगदान किया है और कर रहीं हैं। ये संस्थाए देश के लगभग सभी बड़े शहरों में स्थापित हैं। उदाहरण-स्वरूप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, 'महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पूना', दक्षिण भारत 'हिन्दी प्रचार सभा धारवाड़, अखिल भारतीय हिन्दी परिषद तथा साहित्य अकादमी नई दिल्ली आदि।

और आज:

आज हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन भारत से बाहर सौ से अधिक विश्वविद्यालयों में हो रहा है। संचार माध्यमों से हिन्दी का प्रचार करने वाले भारत से बाहर फैले हुए हैं। भौगोलिक दृष्टि से हिन्दी बोलने-वालों की सीमा का निर्धारण मैंने पहले ही कर दिया है। लेकिन भारत की वह सीमा लांघकर हिन्दी भारत के बाहर नेपाल, भूटान, सिंगपुर, मलेशिया, थाइलैंड, हांगकांग, फिजी, मारीशस, त्रिनिदाद, गयाना, सुरीनाम, इंग्लैण्ड कनाड़ा और संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुँच गई है। हिन्दी मेरठ के आसपास की बोली मात्र नहीं है, इसमें व्रज, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, पहाड़ी, बुंदेली, मालवी और तोमाडी और जाने कितनी उपजनभाषाओं के शब्द-भण्डार मुहावरे और उनकी लोकोक्तियां खपच गयी हैं। हिन्दी ने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द भी स्वपाये हैं। इसकी अपनी सरलता, सहजता और सचसता का गुण अलग ही है।

उपरोक्त तमाम विशेषताओं के बाद भी देश में हिन्दी पूरी तरह प्रतिष्ठित नहीं हो सकी। अनेक संस्थाएँ इसके प्रचार में दिन रात कार्य कर रही है। आए दिन लम्बे लम्बे भाषणों और संगोष्ठियों का आयोजन भी हो रहा है। पुरस्कार की बडी-बडी धनराशी भी आबंटित की जा रही है। संचार माध्यमों के द्वारा भी इसका बोल-बाला बढ़ा है। इन सबके बावजूद हिन्दी भाषा को राजभाषा का जो गौरवपूर्ण स्थान मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। आजादी के बाद जिस प्रकार भारतीय जनता का मोहभंग विविध क्षेत्रों में हुआ उसी प्रकार राष्ट्रभाषा और राजभाषा को लेकर भी हुआ है। इसका कारण है कि शासन द्वारा साहित्य-कारों एवं हिन्दी सेवियों द्वारा इस दिशा में ईमानदारी एवं सही निष्ठा से कार्य नहीं किया जा रहा है। भारत की माटी में जन्मी हिन्दी आज मात्र पाँच सितारा होटलों में धूमधाम आयोजनों तक सीमित हो गयी है। अनेक संवैधानिक प्रावधानों के बीच उलझती हिन्दी को अभी सही जगह नहीं मिल पायी है। इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना है।

हिन्दी विभाग, गोवा विश्वविद्यालय,
गोवा-403 203